न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS No : 2022/222
दायरा तिथि : 17-6-2022
फैसला तिथि : 23-6-2022
प्रार्थी::–
पूनम पुत्री मोतीराम जाति जणवा चौधरी
निवासी खुडाला तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
उपस्थितिः–

1. पूनम चौधरी .... स्वयं प्रार्थी
2. श्री ललित कुमार नायब तहसीलदार, बाली .... पैरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक 23-6-2022

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम खुडाला तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555 कुल रकवा 24.3000 हैक्टर में **दर्ज पिता का त्रुटिपुर्ण नाम मोना पुत्र धूला** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम मोतीराम पुत्र धूला शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि. में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में पिता का त्रुटिपुर्ण नाम **मोना पुत्र धूला** दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज जमाबंदी, मोतीराम की पुत्री शोभा कुमारी व पूनम चौधरी का आधार कार्ड के अनुसार प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम **मोतीराम पुत्र धूला** दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का **त्रुटिपुर्ण नाम मोना पुत्र धूला** के स्थान पर **मोतीराम पुत्र धूला** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम **मोतीराम पुत्र धूला** है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित जमाबंदी, मोतीराम की पुत्री शोभा कुमारी व पूनम चौधरी का आधार कार्ड की प्रतियां पेश कर दी है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय पिता का त्रुटिपूर्ण नाम **मोना पुत्र धूला** दर्ज है, जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम खुडाला तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555 कुल रकबा 24.3000 हैक्टर में **दर्ज पिता का त्रुटिपुर्ण नाम मोना पुत्र धूला** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम मोतीराम पुत्र धूला शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, खुडाला को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 23-6-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner